न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./83/2024/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. मावाराम पुत्र छोगाराम, उम्र 70 वर्ष 2. चम्पालाल पुत्र छोगाराम, उम्र 65 वर्ष 3. विशनाराम पुत्र छोगाराम, उम्र 62 वर्ष, जाति भील, निवासी आसोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा(राज0)	1. मोहनीदेवी पुत्री जोरपुरी के वारिसा– 1/1.महेन्द्र भारती गोस्वामी पुत्र मोहनपुरी फोत के विधिक वारिशान– 1/1/1. मधुकान्ता पत्नी महेन्द्र भारती जाति गोस्वामी, निवासी गणपति विहार, चिराग कोम्पलेक्स, पानेरिया की मॉडरी, मनवा खेडा, गिरवा, उदयपुर। 1/1/2. ज्योत्सना हेमन्त गोस्वामी पुत्री महेन्द्र भारती गोस्वामी, निवासी फ्लेट क्रमांक 1101, 11वीं मंजिल, चैस्टनट बिल्डिग, कासमॉस एन्कलेव्ह, जी.बी. रोड, कासारवडवली, जिला ठाणे, महाराष्ट्रा 1/1/3. रूची पुत्री महेन्द्र भारती गोस्वामी 1/1/4. किरण पुत्री महेन्द्र भारती गोस्वामी 1/1/5. दिव्यांश पुत्र महेन्द्र भारती गोस्वामी, उम्र 11 वर्ष(नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मधुकान्ता गोस्वामी पत्नी स्व. महेन्द्र भारती गोस्वामी) निवासी 40 गणपति विहार, चिराग काम्पलेक्स, पानेरिया की माडरी, मनवा खेडा, गिरवा, उदयपुर। 1/2. लीला पुत्री मोहनपुरी पत्नी जगदीश, निवासी 6 श्री सारणेश्वर जी, वार्ड संख्या 21, तहसील व जिला सिरोही। 1/3.. कृष्णा पुत्री मोहनपुरी पत्नी गोरवगिरी, निवासी 04 बागर गली, जय राजस्थान प्रेस, गिरवा उदयपुर। 2. शांति देवी पुत्री जोरपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी समदड़ी, जिला बालोतरा। 3. पुष्पादेवी पुत्री जोरपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी जोधपुर, जिला जोधपुर। 4. विनोदपुरी पुत्र ओमपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी बालोतरा। 5. दुर्गा पुत्री ओमपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी बालोतरा। 6. कौशल्या पुत्री ओमपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी गांधीधाम 7. वीणा पुत्री ओमपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी ईडर गुजरात।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	8. दीपा पुत्री ओमपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी डूंगरपुर 9. सत्यप्रकाश पुत्र जोरपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी बालोतरा। 10. राजस्थान राज्य जरिये तसीलदार, पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 119/1998 बउनवान जोरपुरी के वारिसान् मोहनीदेवी वगैरह बनाम मावाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2024 के विरूद्व पेष हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री सुनील के मेराजा रेस्पों. संख्या 02 से 04 व 09 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—13 मई 2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी ग्राम आसोतरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 364 रकबा 11 बीघा 15 विस्वा व खसरा संख्या 365 रकबा 06 बीघा 07 विस्वा कुल रकबा 18 बीघा 02 विस्वा की भूमि आई हूई है। जिसकों रेस्पों./वादी के हक पूर्वाधिकारी जोरपुरी द्वारा तत्कालीन खातेदार देवाराम से सप्रतिफल अदा करते हुए जरिये बेचान—पत्र दिनांक 17.02.1982 को क्रय की गई, वक्त खरीद मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से काबिज होने के बाद दिनांक 12.05.1982 को दोनों ही गोलाकार क्रमशः 30 गुणा 30 वर्गफीट व 20 गुणा 20 वर्गफीट नाप की खेत के भूखण्ड पर स्थित झूपियां भी खरीद में प्राप्त की एवं इस आश्य की एक लिखित भी उसी रोज वादी/रेस्पों. के हक—पूर्वाधिकारी देवाराम ने वादी/रेस्पों. के हक में निष्पादित की। वक्त खरीद से आज दिनांक तक मौके पर कब्जा—काश्त वादी का चला आ रहा है। वर्तमान में अपीलांट/प्रतिवादीगण हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी से वादी/रेस्पों. को बेदखल व कब्जा करने पर आमादा है इस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम एवं जबाव/दस्तावेजों पर गोर किये बिना ही विधि के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांट के हितों का कुठाराघात हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्व हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी ग्राम आसोतरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 364 रकबा 11 बीघा 15 विस्वा व खसरा संख्या 365 रकबा 06 बीघा 07 विस्वा. कुल रकबा 18 बीघा 02 विस्वा की भूमि आई हूई है। जिसकों रेस्पों./वादी के हक पूर्वाधिकारी जोरपुरी द्वारा तत्कालीन खातेदार देवाराम से सप्रतिफल अदा करते हुए जरिये बेचान–पत्र दिनांक 17.02.1982 को क्रय की गई, वक्त खरीद मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से काबिज होने के बाद दिनांक 12.05.1982 को दोनों ही गोलाकार क्रमशः 30 गुणा 30 वर्गफीट व 20 गुणा 20 वर्गफीट नाप की खेत के भूखण्ड पर स्थित झूपियां भी खरीद में प्राप्त की एवं इस आश्य की एक लिखित भी उसी रोज वादी/रेस्पों. के हक–पूर्वाधिकारी देवाराम ने वादी/रेस्पों. के हक में निष्पादित की। वक्त खरीद से आज दिनांक तक मौके पर कब्जा–काश्त वादी का चला आ रहा है। वर्तमान में अपीलांट/प्रतिवादीगण हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी से वादी/रेस्पों. को बेदखल व कब्जा करने पर आमादा है इस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजों पर गोर किये बिना ही विधि विरूद्ध जाकर अपीलांधीन निर्णय पारित हैं। क्योंकि अपीलांट/वादी का हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त भूमि में वादी के हक पूर्वाधिकारीयों ने औजार, चारा, घास रखने हेतु झूपिया नही बनाई, बल्कि वादी/उत्तरदाता के हक पूर्वाधिकारियों का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा–काश्त नहीं था, वादग्रस्त भूमि पर वक्त काश्तकारी अधिनियम लागू होने तथा उसके पहले एवं बाद में राजू व छोगा का व उसके बाद उनके पुत्रान कब्जा–काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि में तीन अलग–अलग ढाणियां बनी हुई है, जिसमें एक–एक झूपा तथा एक–एक पक्का पड़वा बना हुआ है, जिसमें राजू व छोगा के वारिसान प्रतिवादी/अपीलाण्ट का रहवास है। वादी/उत्तरदाता के हक पूर्वाधिकारियों ने अगर ढाणिया बनाई होती तो उसका हवाला वादी/उत्तरदाता अपने पूर्व के दावा संख्या 50/82 में जरूर देता। एवं वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से आज दिनांक प्रतिवादी/अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। केवल जमाबंदी में रेस्पों. के बेचानकर्तागण डूगरिया व भला वगैरा का नाम खातेदारी में अंकित होना ही पर्याप्त नही है। उक्त जमाबंदी में किये गये ईन्द्राज सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों द्वारा गलती से भी अंकित किये जा सकते है और सेटलमेंट में ऐसी गलतियें कई सारी हुई है। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जमाबंदी में किया गया ईन्द्राज मात्र वित्तीय उद्धेश्य (fiscal purposes) के लिये किया जाता है। उक्त ईन्द्राज से किसी को न तो स्वामित्व प्राप्त होता है और न ही कोई हक उत्पन्न होता है और न ही कोई खातेदारी अधिकार ही उत्पन्न होते है। ऐसे ईन्द्राजो के आधार पर केवल लगान वसूल किया जाता है। उत्तरदातागण के बेचानकर्तागण डूगरिया एवं भलाराम वगैरा द्वारा लगान अदा नही किया गया और न ही रेस्पों. द्वारा लगान अदा किया गया और उत्तरदातागण के बेचानकर्तागण डूंगरिया एवं भलाराम वगैरा द्वारा राज्य सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को लगान अदा करने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत ही किया गया है और न ही गिरदावरी के आधार पर खातेदारी के अधिकार प्रदान किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त, पूर्व खातेदार डूंगरिया एवं भलाराम वगैरा द्वारा वादग्रस्त खसरें पर कब्जा करने में असफल रहे तो उन्होने आगे से आगे उत्तरदातागण के पूर्वज जोरपुरी को उक्त खसरों का बेचान कर दिया। खरीददार जोरपुरी जो वादग्रस्त खसरों पर कब्जा करने में असफल रहा, तब जोरपुरी द्वारा धारा 188 दि० 25/5/82 को 188 रा० का० अधि० का वाद इस वाद को चतुराई से परिसीमा में लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया। उक्त वाद धारा 188 रा० का० अधि० में असफलता मिलने की संभावना होने पर उसे विड्रो करते हुए इस वाद को दि० 27/10/1998 का धारा 183 रा० का० अधि० के तहत् कब्जा प्राप्त का प्रस्तुत किया, जो वाद परिसीमा से वर्जित होने से खारिज करने योग्य था। जब सहखातेदार देवाराम का वक्त सेटलमेंट से कब्जा ही नही था और उसका नाम, सहखातेदार डूंगरिया एवं भलाराम एवं अन्य का नाम सेटलमेंट वालों ने भूल से दर्ज कर दिया था। वक्त सेटलमेंट, उससे पूर्व अपीलाण्टगण व उनके पूर्वजों का कब्जा लगातार रहा और आज भी अपीलाण्टगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है जो कब्जा मौका रिर्पोट EXA-05, EXA-07, EXA-09, EXA-10 से भलीभाँति प्रमाणित होता है, जो कब्जा अपीलाण्टगण का संवत् 2012 से पूर्व का है। अपीलाण्टगण अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe) के व्यक्ति है, जिनकी गरीबी व अनपढ़ता का अनुचित लाभ उठाकर से सेटलमेंट वालों ने गलती से डूंगरिया एवं भलाराम एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर्चा लगान जारी कर दिया था। वास्तव में कब्जा ही टाईटल का अनुसरण करता है (possession follows title)। ऐसा सिद्धान्त एवं प्रावधान भी धारा 110 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किया गया है। उक्त प्रावधानों के तहत् सबूत का भार उतरदातागण पर था, जो उत्तरदातागण साबित करने में असफल रहे है। उत्तरदातागण द्वारा वादग्रस्त खसरो से अपीलाण्टगण से कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद सन् 1982 में प्रस्तुत नही कर सन् 1998 में प्रस्तुत किया था, जो वाद 16 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद 12 वर्ष की परिसीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करने की वजह से परिसीमा से बाहर होने की वजह से निरस्त करने योग्य था। उक्त वर्णित तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो विचार में लिया और न ही साक्ष्य का सही विवेचन एवं विश्लेषण ही किया।

उक्त के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं0 01 व 03 उत्तरदातागण (वादीगण) के पक्ष में और अपीलाण्टगण (प्रतिवादीगण) सं० 01 से 09 के विरूद्ध निर्णित करने में तथ्यों और कानूनों की भूल की है, क्योंकि इन तनकियात में केवल उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं विवेचन का विश्लेषण किया है। इसके विपरीत अपीलाण्टगण द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था, जिसके समर्थन में व उनमें वर्णित तथ्यों को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में डीडब्ल्यू 01 से डीडब्ल्यू 07 तक करीबन 07 गवाहन प्रस्तुत किये गये। साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में EXA-01 से EXA-14 प्रस्तुत किये गये जिन गवाहन के बयानों व दस्तावेजो को इन तनकियात को निर्णित करने समय अधिनस्थ न्यायालय ने न तो विचार में लिया और न ही अपने निर्णय में विवेचन व विश्लेषण ही किया। केवल उत्तरदातागण द्वारा प्रस्तुत गवाहन व दस्तावेज को विचार में लिया गया, जो एक तरफा साक्ष्य विचार मे ली गयी। साथ ही धारा 183 रा० का० अधि० के तहत् कब्जा प्राप्ति का वाद प्रस्तुत करने की परिसीमा 12 वर्ष है। 12 वर्षों के अन्दर कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रिकॉडेड खातेदार के

राजस्व अपील प्राधिकारी
डूंगरपुर

खातेदारी अधिकार धारा 63 (1) (iv) रा० का० अधि० के तहत् उत्तरदातागण को कब्जे से वंचित कर दिया गया हो और कब्जा वापस लेने का उसका अधिकार म्याद से बाधित हो गया हो तो उसके खातेदारी अधिकार समाप्त होकर कब्जाधारी अपीलाण्टगण में निहित हो जाते है। उक्त कानूनी प्रावधानों के आधार पर जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया और उक्त जवाबदावा और काउण्टर क्लेम में अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 रा० का० अधि० का वाद परिसीमा के अन्दर नही प्रस्तुत करने के अभिवचन किये गये। परन्तु उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आया वादीगण/उत्तरदातागण कब्जा प्राप्त करने का वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत किया गया है, उक्त के संबंध में कोई तनकी परिसीमा की अलग से कायम नहीं की। ऐसी तनकी कब्जा प्राप्ति के वाद में कायम करना आज्ञापक था। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं० 01 व 03 उत्तरदातागण (वादीगण) के पक्ष में और अपीलाण्टगण (प्रतिवादीगण) सं० 01 से 09 के विरूद्ध निर्णित करने में तथ्यों और कानूनों की भूल की है, क्योंकि सहखातेदार देवाराम पुत्र चुतराराम ने पॉच रूपये के स्टाम्प पेपर दिनांक 12.05.1982 को कोई लिखत उत्तरदातागण/ वादीगण के पक्ष में निष्पादित की है, तो उसकी जानकारी अपीलाण्टगण को नही है और न ही उक्त लिखत में अपीलाण्टगण पक्षकार है, और न ही उक्त लिखत से अपीलाण्टगण पाबंद व जिम्मेदार है। उक्त लिखत को साबित करने हेतु न तो देवाराम स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही खुशालाराम एडवोकेट ही गवाह के रूप में गवाह के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। वास्तव में सहखातेदार देवाराम वादग्रस्त खसरों पर कब्जा करने में असफल रहा तो उसने कम प्रतिफल की राशि में उत्तरदातागण के पूर्वज जोरपुरी को अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर दी थी। वक्त खरीद बेचानकर्तागण द्वारा वादग्रस्त खसरों का कब्जा खरीदारों को सुपर्द करना मिथ्या अभिकथित किया गया है। बेचाकर्ताओं का केवल कागजी रूप से जमाबंदी में नाम दर्ज था, परन्तु विक्रय किये गये खसरों की भूमि पर बेचानकर्तागण का वास्तविक व भौतिक रूप से कोई कब्जा नही था, बल्कि कब्जे के रूप में अपीलाण्टगण की तीन ढाणियॉ उस समय बनी हुई थी। जो इस प्रकरण में अपीलाण्टगण की तीन ढाणियों बनी होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम आसोतरा के खसरा नम्बर 364, 365 कुल रकबा 18 बीघा 02 विस्वा भूमि का कब्जा अपीलाण्टगण से प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत नही किया गया हैं, जबकि उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर आज दिन तक अपीलाण्टगण का कब्जा है। अपीलाण्टगण से उपरोक्त खसरों की कुल रकबा 18 बीघा 02 विश्वा भूमि में से 30 गुणा 30 फीट और 20 गुणा 20 फीट दो झौपियों का कब्जा करने का ही वाद पेश किया है, जो वाद अपर्याप्त आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। जबकि अपीलाण्टगण का प्रारम्भ से ही सम्पूर्ण खसरों की भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है, जो दस्तावेजो व अन्य तथ्यों से भली–भाँति प्रमाणित है। कमिश्नर सुरेश नारायण और मालाराम मौका देखा गया, तब अपीलाण्टगण का कब्जा पाया गया। पूर्व वाद सं० 50/82 में एसडीएम साहब श्री मदनलाल काला ने स्वयं ने मौका देखा, उस समय भी अपीलाण्टगण का कब्जा होना बताया और उनमें रहवासी ढाणी अपीलाण्टगण की होना बताया। उत्तरदातागण के पूर्वज जोरपुरी द्वारा वादग्रस्त भूमि दिनांक 17.02.1982 को जरीये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद की गयी। उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर म्यूटेशन भरा गया। जिस

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

म्यूटेशन पर बेचानकर्तागण और उत्तरदातागण के पूर्वज जोरपुरी का कब्जा होना नहीं पाया जाने से म्यूटेशन खारिज किया गया। जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 17.02.1982 को उत्तरदातागण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना नहीं पाया गया और न ही दिनांक 17.02.1982 को उत्तरदातागण के पूर्वज जोरपुरी को विक्रय की गयी। उक्त भूमि में विक्रेताओं का भी कब्जा होना नही पाया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों व दस्तावेजात से प्रमाणित है कि दिनांक 17.02.1982 से ही वादग्रस्त भूमि पर उत्तरदातागण के पूर्वज जोरपुरी गोस्वामी व तत्पश्चात् उत्तरदातागण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना नहीं पाया गया है तथा फौजदारी प्रकरण संख्या 04/85 में भी उत्तरदातागण ने अपीलाण्टगण का कब्जा होना स्वीकार किया है। और तहसीलदार पचपदरा द्वारा बेचान के आधार पर भरे गये म्यूटेशन का निर्णय किया गया, तब मौका देखा तब ही अपीलाण्टगण का कब्जा होना पाया गया। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही विधि के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध तनकीयात का निर्णय करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट के नाम खातेदारी घोषित की जावें।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत प्रकरण मे साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर विधि अनुसार वर्णन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। रेस्पों. संख्या 01 द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्ट्री खरीद की गई थी। खरीद के बाद से रेस्पों. संख्या 1 का लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा है। इसलिए अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। वादीगण/रेस्पों. की खातेदारी भूमि ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 364 व 365 कुल रकबा 18.02 बीघा भूमि अवस्थित हैं। वादी के हक पूर्वाधिकारीयों द्वारा अपने कृषि औजार, चारा घास इत्यादि रखने हेतु चारो तरफ बाड़ानुमा निर्मित दो झूपिया खेत के पूर्वी व उत्तरी कोने पर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि वादीगण के हक पूर्वाधिकारी जोरपुरी द्वारा तत्कालीन खातेदार देवाराम से सप्रतिफल अदा करते हुए जरिए बेचान–पत्र दिनांक 17.02.1982 को क्रय की गई, वक्त खरीद मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से काबिज होने के बाद दिनांक 12.05.1982 को दोनो ही गोलाकार क्रमशः 30 गुणा 30 वर्गफीट व 20 गुणा 20 वर्गफीट नाप की खेत के भूखण्ड पर स्थित झूपीयां भी खरीद में प्राप्त की एवं इस आशंय की एक लिखित भी उसी रोज वादी के हक पूर्वाधिकारी देवाराम ने वादी के हक में निष्पादित किया। वादीगण का वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। वादग्रस्त भूमि के पूर्व बदिशा में प्रतिवादी की रहवासी ढाणिया कुछ ही दूरी आई हुई हैं। उक्त प्रतिवादी कम कीमत पर वादग्रस्त भूमि क्रय करने की मंशा रखते थे, लेकिन वादग्रस्त भूमि के हक पूर्वाधिकारी ने प्रतिवादी को कम कीमत पर जमीन नहीं बेचकर वादी को वाजिब कीमत में विवादित भूमि बेचान किए जाने पर प्रतिवादी वादीगण के रंजिश रखने

राजस्व अपील प्राधिकारी
डीडवाना

लगे, क्योंकि प्रतिवादी बदमाश व झगडालू प्रवृति के लोग हैं। जिसके कारण वादीगण की खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने का असफल प्रयास करने पर वादी द्वारा फौजदारी मुकदमा प्रतिवादी के विरूद्ध दायर करवाया गया, तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया, जिसको अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा विधि सम्मत विवेचन करते हुए स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। साथ ही निवेदन किया कि खालसा गांव आसोतरा तहसील पचपदरा की कृषि भूमि खसरा संख्या 364 व 365 कुल रकबा 18.02 बीघा वादी द्वारा सप्रतिफल दिनांक 17.02.1982 को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख खरीद करने एवं मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से काबिज होने के बाद दिनांक 12.05.82 को दोनो हीं गोंलाकार क्रमशः 30 गुणा 30 वर्गफीट एवं 20 गुणा 20 वर्गफीट नाप की खेत के भू–खण्ड पर स्थित झूपीयों भी खरीद में प्राप्त की एवं इस आंशय का एक लिखत भी उसी रोज वादी के हक पूर्वाधिकारी देवाराम ने वादी के हक में निष्पादित किया। दिनांक 09.05.82 को इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होने पर प्रथम बार फसल बाजरी, मूंग, मोठ की बुवाई कराई। इसके बाद वर्ष दर वर्ष वादी निरन्तर काश्त करता रहा हैं। वर्ष 1992 जून माह में जब वादी बालोतरा में था तब वादी की गैर मौजूदगी में प्रतिवादीगण ने अपनी घर विकरी का कुछ सामान, बिना किसी, विधिक अधिकार एवं प्राधिकार के अतिक्रमण स्वरूप वादी के स्वामित्व की दोनों झूपियों में रख दिया और वादी को झूपियों के उपभोग एवं उपयोग से वंचित कर दिया, इस प्रकार प्रतिवादी विधि के अन्तर्गत अनाधिकृत अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं, और उन्हे उक्त नाप की दोनो हीं झूपियों पर उनका कब्जा रखनें का कोई अधिकार नहीं हैं। ग्राम पंचायत आसोतरा ने नैसर्गिक विधि के आज्ञापक प्रावधान का उल्लघंन कर वादी का नामान्तकरण हेतु आवेदन अस्वीकार कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी ने अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की, जो स्वीकार की गई एवं मामला प्रतिवादी संख्या 4 के पास गुणावगुण के आधार पर निस्तारण हेतु रिमाण्ड कर दिया। प्रतिवादी संख्या 04 ने वक्त मौका निरीक्षण उक्त वर्णित झूपियों में प्रतिवादीगण का कब्जा होना पाया एवं शेष भूमि मौके पर वादी की खाली पड़ी हुई होना मानकर वादी के पक्ष में आदेश दिनांक 24.04.1997 को पारित किया, जो पुख्ता हो चुका हैं। वादग्रस्त भूमि पर कभी भी राजू व छोगा व उसके वारिसान प्रतिवादी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 364 व 365 वर्ष संवत 2012 में खसरा संख्या 971/1 या 971/2 मीन का हिस्सा होने के कथन पूर्णतया गलत व बनावटी है। वाद संख्या 50/82 मात्र निषेद्याज्ञा के अनुतोष का वाद मात्र था, चूंकि वादी सप्रतिफल काबिज क्रेता खातेदार काश्तकार है। इसलिए अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार शेष नहीं रह जाता है। जहां तक अपीलांट द्वारा काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का प्रश्न है उक्त के संबंध में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी जहां अपने आप को वक्त काश्तकारी अधिनियम लागू होने तथा उससे पहले व बाद में सब–टिनेन्सी के आधार पर काबिज होना बताते है, दूसरी ओर प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपने आपको खातेदार होना बताते है, जिसके संबंध में विधि की यह स्पष्ट प्रावधान है कि परस्पर विरोधाभासी अभिवचन सब टिनेन्सी एवं प्रतिकूल कब्जा के दोनों एक साथ नहीं चल सकते है, उक्त विधिक आधारों पर ही काउन्टर क्लेम प्रतिवादी/अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया तथा वादीगण/रेस्पों का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 364 व 365 क्रमशः रकबा 11 बीघा 15 विस्वा व 06

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा 07 विस्वा कुल क्षेत्रफल 18 बीघा 02 विस्वा में निर्मित वादी के स्वामित्व की दो झूपियों जो खेत के पूर्वी तरफ व उत्तरी तरफ के कोने पर क्रमशः 30 गुणा 30 वर्गफीट एवं 20 गुणा 20 वर्गफीट नाप की स्थित हैं. में प्रतिवादीगण/अपीलांट का कब्जा अनाधिकृत अतिक्रमियों का करार दिया जाकर तीनों हीं अतिक्रमी प्रतिवादीगण को दोनो हीं झूपियों से बेदखल किया जाकर दोनो हीं झूपियों में कब्जा असालतन वादी का मौके पर कराया जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया था। इसलिए अपीलांट के उक्त उज्र का भी कोई सार नहीं है। अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि राजस्व वाद संख्या 50/1982 पूर्व में वादी द्वारा प्रस्तुत कर विड्रोवल करवा लिया गया था जबकि उक्त वाद अपीलाधीन वाद से अलग विषय वस्तत का था क्योकि उक्त प्रश्नगत वाद संख्या 50/1982 स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया था एवं अपीलाधीन वाद प्रश्नगत दो झूपों पर किये गये अवैध कब्जे से प्रतिवादी को बेदखल करने बाबत् प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रश्नगत वाद जरिये विड्रोवल खारिज हुआ था ना कि गुणावगुण पर अतः उक्तानुसार दोनों वाद की विषय–वस्तु भिन्न–भिन्न होने से रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी मे नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब कर मौका रिपोर्ट अनुसार एवं रेस्पों. संख्या 1 के कब्जा–काश्त अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील बिना किसी विधिक तथ्यों के ही केवल अपीलाधीन निर्णय के जरिये मिले न्याय को बाधित करने हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। जिस पर अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए विधि संगत निर्णय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता है। जहां तक खातेदारी एवं कब्जा–काश्त का प्रश्न है उक्त के संबंध में अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 तक में अंकित नामान्तरकरण संख्या 1412/07.08.1997 निर्णय स्वीकृत होने से जोरपुरी पुत्र भगवानपुरी कौम गोस्वामी के नाम पूर्ण खाता रेकार्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त भूमि जोरपुरी को खातेदार द्वारा जरिये बेचान–पत्र दिनांक 17.02.1982 द्वारा प्राप्त हुई। उक्त बेचान पत्र के जरिये हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 18.02 बीघा रेस्पों./वादी द्वारा खरीद किया गया। अपीलांट द्वारा प्रमुखता से अपने कब्जा हेतु दो झोपे अपने कब्जे में बताया है। उक्त के संबंध में भी यह स्पष्ट मत प्रकट होता है कि अपीलांट अपने उक्त झोपे में वेद्य कब्जा साबित करने में असफल रहा है। कब्जे को लेकर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर अपने अनेकों न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि कोई भी पक्षकार किसी विवादित आराजी पर अपना वेद्य कब्जा साबित नहीं कर पाता है तो उसे अतिक्रमी

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी
डाडमेर

माना जाएगा एवं अतिक्रमी के हैसियत से वह खातेदारी घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी नहीं होगा। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक बिन्दुओं से यह हाजा न्यायालय की राय में अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती होने से अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 119/1998 बउनवान जोरपुरी के वारिसान् मोहनीदेवी वगैरह बनाम मावाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2024 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश बिश्नोई),
प्रथम श्रेणी अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर